रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3046] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 23, 2016/पौष 2, 1938
No. 3046] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 23, 2016/PAUSA 2, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2016

का.आ. 4162(अ).—केंद्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2016 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन खंड के रूप में घोषित किया था और उक्त खंड में उद्योगों की स्थापना करने तथा उनके विस्तार, संक्रियाओं तथा प्रसंस्करणों पर निर्बंधन अधिरोपित किए थे ;

और महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि वह उक्त अधिसूचना, 2011 में विशेष उपबंध समाविष्ट करे, जिससे कि मुम्बई में इन्दू 6 मिल्स भूमि पर 'डा. बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक' का विकास किया जा सके ;

और इस मुद्दे की महाराष्ट्र तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण द्वारा उसकी 23 अप्रैल, 2011 को हुई बैठक में पहले समीक्षा की गई थी और उक्त अधिसूचना, 2011 में संशोधन करने की सिफारिश की थी ;

और राष्ट्रीय तटीय क्षेत्र प्रबंध प्राधिकरण ने 16 जुलाई, 2012 को हुई अपनी बैठक में इस विषय की समीक्षा की और उक्त प्राधिकरण ने विचार-विमर्श करने के पश्चात् उक्त अधिसूचना, 2011 में संशोधन की सिफारिश करने का विनिश्चय किया ;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन किया जाना चाहिए ;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के उपबंध को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करने के लिए उक्त नियम के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिमुक्त करना लोकहित में है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

उक्त तटीय विनियमन खंड की अधिसूचना, 2011 के पैरा 8 के उपपैरा "(v) ऐसे क्षेत्र जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है,-" में "1.ऐसे सीआरजेड क्षेत्र, जो ग्रेटर मुम्बई के नगरपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है" शीर्षक के अधीन, "(iii) सीआरजेड-II क्षेत्रों में-" उपशीर्षक के अधीन, मद (ज) के पश्चात् निम्नलिखित मद अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"(झ) इन्दू 6 मिल्स भूमि पर मुम्बई में भारत रत्न डा. बाबा साहेब अम्बेडकर के सम्मान में स्मारक के संनिर्माण को लागू नगर और ग्राम योजना विनियम के अनुसार औद्योगिक उपयोग से स्मारक के संनिर्माण के लिए भू उपयोग में परिवर्तन करने को अनुज्ञात किया जाएगा।"

[फा. सं. 19-11/2012-आईए-III]

अरुण कुमार मेहता, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 19(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित संशोधन किए गए :--

1. का.आ. 2557(अ), तारीख 22 अगस्त, 2013 ;
2. का.आ. 1244(अ), तारीख 30 अप्रैल, 2014 ;
3. का.आ. 3085(अ), तारीख 28 नवंबर, 2014 ;
4. का.आ. 383(अ), तारीख 4 फरवरी, 2015 ;
5. का.आ. 556(अ), तारीख 17 फरवरी, 2015 ;
6. का.आ. 938(अ), तारीख 31 मार्च, 2015 ;
7. का.आ. 1599(अ), तारीख 16 जून, 2015 ;
8. का.आ. 3552(अ), तारीख 30 दिसंबर, 2015 ; और
9. का.आ. 1212 (अ), तारीख 22 मार्च, 2016।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd December, 2016

S.O. 4162(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests vide number S.O.19(E), dated the 6th January, 2011 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government declared coastal stretches as Coastal Regulation Zone, and restrictions were imposed on setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone;

And whereas, the State Government of Maharashtra has requested the Maharashtra Coastal Zone Management Authority to incorporate special provisions in the said notification, 2011 to enable development of 'Memorial of Dr. Babasaheb Ambedkar' on Indu 6 Mills land in Mumbai;

And whereas, the issue was earlier examined by the Maharashtra Coastal Zone Management Authority in its meeting held on the 23th April, 2011 and recommended for amendment to the said notification, 2011;

And whereas, the National Coastal Zone Management Authority examined the matter in its meeting held on 16th July, 2012 and the said Authority, after deliberation, decided to recommend the amendment to the said notification, 2011;

And whereas, the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended;

And whereas, the Central Government, having regard to provision of sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule(3) and sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendment in the aforesaid notification, namely:-

In the said Coastal Regulation Zone, Notification, 2011, in paragraph 8, in sub-paragraph "V. Areas requiring special consideration,-", under the heading "1. CRZ areas falling within municipal limits of the Greater Mumbai.", under the sub-heading "(iii) In CRZ-II areas-"**,** after item (h), the following item shall be inserted, namely:-

"(i) Construction of Memorial in the honour of Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar in Mumbai on Indu 6 Mills land shall be allowed with change in land use from industrial to construction of Memorial in accordance with the applicable Town and Country Planning Regulations".

[F. No. 19-11/2012-IA. -III]

ARUN KUMAR MEHTA, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii),vide number S.O.19(E), dated the 6thJanuary, 2011 and subsequently amended as follows:-

1. S.O. 2557(E), dated the 22ndAugust, 2013;
2. S.O. 1244(E), dated the 30th April, 2014;
3. S.O. 3085(E), dated the 28th November, 2014;
4. S.O. 383(E), dated the 4th February, 2015;
5. S.O. 556(E), dated the 17th February, 2015;
6. S.O. 938(E), dated the 31st March, 2015;
7. S.O. 1599(E), dated the 16th June, 2015;
8. S.O. 3552(E), dated the 30th December, 2015; and
9. S.O. 1212(E), dated the 22nd March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Nishok Kumar Paria
Digitally signed by Nishok Kumar Paria
Date: 2016.12.27 16:31:04 +05'30'